रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062025-263884
CG-DL-E-16062025-263884

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2622]	नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 2025/ज्येष्ठ 26, 1947
No. 2622]	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2025/JYAISTHA 26, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2025

का.आ. 2687(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार 'हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, गुरूग्राम' (पैन- AAAGH0586F) जो कि हरियाणा राज्य सरकार द्वारा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 2016) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन गठित एक प्राधिकरण है, को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात:-

(क) सरकार से अनुदान सहायता या ऋण/अग्रिम के रूप में प्राप्ति राशि;

(ख) रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधान के अनुसार बिल्डरों/विकास कर्ताओं, ऐजेंटों या किसी अन्य हितधारकों से प्राप्त शुल्क/जुर्माना; और

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, गुरूग्राम' -

(क) किसी व्यावसायिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा;

(ख) वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधि तथा निर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) खण्ड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2019-2020 से 2023-2024 से संगत वित्तीय वर्षों 2018-2019 से 2022-2023 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 57/2025/फा. सं. 300196/35/2022-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह, उप-सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2025

S.O. 2687(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Haryana Real Estate Regulatory Authority, Gurugram' (PAN: AAAGH0586F), an Authority constituted under sub-section (1) of Section 20 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016) by the State Government of Haryana, in respect of the following specified income arising to that Authority, namely:-

(a) Amount received as Grant-in-aid or loan/advance from Government;

(b) Fee/penalty received from builders/developers, agents or any other stakeholders as per the provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016; and

(c) Interest earned on (a) and (b) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that the Haryana Real Estate Regulatory Authority, Gurugram -

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial years 2018-19 to 2022-23 relevant to assessment years 2019-20 to 2023-24.

[Notification No. 57/2025/F. No. 300196/35/2022-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA